संख्या - 82/2015/1103 /एक-6-2015-15(13)/2014

प्रेषक,

डी0 के0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 20 अक्टूबर, 2015**

विषय: राजस्व परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद कार्यालय भवन का जीर्णोद्वार एवं साज-सज्जा संबंधी परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने एवं 262.56 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2931/12-भवन-59/2014, दिनांक 19-11-2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व परिषद , उ0प्र0 इलाहाबाद कार्यालय के भवन के जीर्णोद्वार एवं साज-सज्जा हेतु उपलब्ध कराये गये रू0 577.77 लाख के आगणन के परीक्षणोपरान्त प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रस्तावित लागत के सापेक्ष रू0 525.12 लाख की लागत पर अनुमोदन कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान किया गया है। उक्त कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में नई मांग के माध्यम से रू0 288.85 लाख की बजटीय व्यवस्था करायी गयी है।

2- श्री राज्यपाल महोदय राजस्व परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद कार्यालय भवन का जीर्णोद्वार एवं साज-सज्जा सम्बन्धी परियोजना हेतु अनुमोदित लागत रू0 525.12 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 262.56 लाख (रू0 दो करोड़ बासठ लाख छप्पन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि को आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) राजस्व परिषद एवं कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जाये।

(3) कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता तथा मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्त्रदायित्व कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 आवास विकास परिषद एवं राजस्व परिषद का होगा।

(4) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

(5) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/ कास्ट ओवर रन न हो । अत: इस सम्बन्ध में शासन

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (7) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(6) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(7) स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा। प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग होने पर निर्माण कार्य की दूसरी किश्त अवमुक्त करने पर विचार किया जायेगा।

(8) राजस्व परिषद द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावर्णीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्णय कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय 12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) कार्य के उपरान्त यदि कोई पुरानी सामग्री उपलब्ध होती है तो उसके डिस्पोजल से प्राप्त धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही राजस्व परिषद द्वारा सुनिश्चित की जाये।

(11) स्वीकृत धनरशि आवश्यकतानुसार आहरित कर राजस्व परिषद द्वारा तुरन्त कार्यदायी संस्था, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि अनुमोदित कार्यो पर ही व्यय की जायेगी। अन्य व्यवर्तन नहीं किया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही दिनांक 31-03-2016 तक आहरित कर व्यय की जायेगी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवशेष की दशा में यथा समय शासन को समर्पित की जाये।

(13) कट आउट /प्रोप्राइटरी श्रेणी के अन्तर्गत सामग्री का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमो के आधार पर किया जायेगा।

3- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में निर्दिष्ट शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- राजस्व परिषद, लखनऊ, उ0प्र0 के अपर आयुक्त (लेखा)/लेखाधिकारी द्वारा वित्तीय नियमों में विचलन होने की दशा में शासन के वित्त विभाग एवं राजस्व विभाग को तत्काल सूचित किया जायगा।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-52 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-कार्यालय भवन-800-अन्य व्यय-17, राजस्व परिषद, इलाहाबाद कार्यालय में विभिन्न कार्य-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-5-1260/दस-2015 दिनांक 19-10-2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0 के0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1103(1)/एक-6-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार,(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।,

3- आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद , लखनऊ।

4- आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।

5- जिलाधिकारी, इलाहाबाद।

6- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ/इलाहाबाद।

7- अपर आयुक्त (लेखा) राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

8- निदेशक, ग्लोबल कन्सट्रक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ ।

9- निबन्धक, राजस्व परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद का भी दायित्व होगा कि वे निर्माण कार्यों पर पैनी दृष्टि रखे और यह देखे कि निर्माणदायी संस्था द्वारा नियमों के अनुसार निर्धारित मानको का पालन करते हुए प्रस्तावित विशिष्टियों/कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए समयान्तर्गत कार्य किया जा रहा है या नहीं। किसी भी रूप में विचलन की स्थिति होने पर उनके द्वारा उच्चाधिकारियों सहित शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा।

10- अधिशासी अभियन्यता, निर्माण खण्ड-35, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, इलाहाबाद।

11- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-5 ।

12- नियोजन अनुभाग-4

13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in